नम्बर व … जो इस …	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	16/12/25 - आज पत्रावली सुनाये जाने आदेश प्रस्तुत हुई वकील पक्ष उपस्थित हो जाने का बाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. मि. हो पत्रावली फैसल सुनाई हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला लेख भण्डार हो सुनाया गया।	
	सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
152 / 24	25 / 06 / 24	16 / 12 / 25

1. बनवारी पुत्र श्री सवाईसिंह जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल– तिजारा राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र श्री छीतर
2. बलवान
3. प्रेमपाल पुत्रान श्री मातादीन
4. दीपेन्द्र पुत्र श्री बलवीर
5. बिरमा देवी पत्नी बलवीर
6. कमलसिंह पुत्र श्री जलेसिंह
7. बिमला पत्नी जलेसिंह
8. धूंधा पत्नी हरिसिंह
9. राजपाल
10. धर्मपाल पुत्रान श्री हरिसिंह
11. रतीराम पुत्र श्री चिरंजी
12. भगवानी पत्नी चिरंजी
13. राजेश
14. दीपक पुत्रान श्री होशियार
15. अमरसिंह पुत्र श्री शिवजी
16. गंगाराम
17. धर्मसिंह पुत्र श्री जग्गल उर्फ जगराम
18. कृष्ण कुमार
19. गिर्राज़ पुत्रान श्री शिवजी
20. वीरमति पत्नी करणसिंह
21. योगेन्द्र पुत्र श्री करणसिंह
22. जसवन्त कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण
23. कान्ता पत्नी जसराम
24. धीरेन्द्र
25. विकास पुत्रान श्री जसराम
26. धर्मचंद पुत्र श्री मंगी
27. यशवंत पुत्र श्री मंगी
28. मूर्ति पत्नी मंगी
29. संतोष पत्नी मामचन्द
30. नरेश कुमार
31. राकेश कुमार पुत्रान श्री मामचंद
32. मन्ना देवी पत्नी वीरेंद्र
33. रोहित पुत्र श्री वीरेंद्र

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

34. फतेहसिंह
35. निहालसिंह पुत्रान श्री ख्याली
36. मूर्ती देवी पत्नी ख्याली
37. मोहनसिंह
38. महेशचंद पुत्रान श्री टेकचंद
39. प्रभु
40. बुधराम पुत्रान श्री प्रभाती
41. कृष्ण कुमार पुत्र श्री उमराव
42. रेवती पत्नी उमराव
43. सरजीत पुत्र श्री सोहन
44. जलेसिंह
45. धर्मसिंह
46. भूपसिंह पुत्रान श्री छीतर
47. राजेश कुमार
48. संजय कुमार पुत्रान श्री रामसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
49. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

:–**प्रतिवादीगण**

दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती इंद्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अनर्तगत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री नरेन्द्र कुमार मांढैया वकील प्रतिवादीगण।

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल खाता सं0 149 के हाल ख0 नं0 103/0.92 हैक्0, 372/0.23 हैक्0, 502/0.42 हैक्0, 504/0.01 हैक्0, 505/1.06 हैक्0, 605/0.30 हैक्0, 606/0.24 हैक्0, 613/0.01 हैक्0, 614/0.86 हैक्0, 628/0.30 हैक्0, 682/0.35 हैक्0, 683/0.01 हैक्0, 684/0.34 हैक्0, कुल किता 13 कुल रकबा 5.05 हैक्0, हाल खाता सं0 143 के हाल ख0 नं0 625/0.25 हैक्0, हाल खाता सं0 147 के हाल ख0 नं0 585/0.46 हैक्0, हाल खाता सं0 148 के हाल ख0 नं0 689/0.27 हैक्0, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादी की खानदानी है जिस पर वादी व वादी के पूर्वज खुदकाश्त खातेदार के काबिज काश्तकार रहे है आज भी मौके पर वादी खुदकाश्त का खातेदार है काबिज होकर काश्त कर रहा है। आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त के बाबत मौके पर आज तक कोई विवाद नहीं रहा है। वादी अपने हिस्से पर राजस्व रिकोर्ड के अनुसार काबिज है एवं वादी का कब्जा निर्विवादित एवं निरन्तर चला आ रहा है।
3. यह है कि अर्सा दराज पूर्व ग्राम नंगली औझा में सिंचाई के साधन कम होने के कारण आराजी पर उत्तम काश्त के लिये वादी के सिंचाई के पास लगती आराजी वादी सिंचाई कर लेता व वादी की दीगर आराजी दीगर व्यक्ति के सिंचाई साधन के पास लगती थी उस आराजी पर दीगर व्यक्ति सिंचाई कर लेता था सिंचाई साधन बढते गये सभी लोग अपनी अपनी आराजीयात पर स्वंय के साधनो से सिंचाई करने लग गये लेकिन पूर्व में दो चार साल सिंचाई

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के लिये आराजी की अदला बदली की वजह से ग्राम नगंली औझा के समस्त काश्तकारो के राजस्व रिकोर्ड में दीगर व्यक्तियों को शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज कर दिये गये जबकि मौके पर आज के दिन किसी भी आराजी पर शिकमी या बकाश्त वाले का कब्जा नहीं है दीगर काश्तकारों खातेदारो की आराजी पर वादी को शिकमी दर्ज कर रखा है। एवं वादी की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी को एवं उनके पूर्वजो के शिकमी व बकाश्त के रूप में नाम का अंकन कर रखा है जबकि वादी की खातेदारी की आराजी पर स्वंय वादी काबिज है काश्त कर रहा है दीगर किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा में पार्वती पुत्री अबजी लावल्द फौत हो चुकी है राजस्व जमाबन्दी में हिबसू नाम अंकित हो रहा है जबकि हिबसू नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा है छीतर पुत्र मोहन नाम गलत अंकन हो रहा है जबकि सही नाम छीतर पुत्र मोहकम रहा है जमाबन्दी में वादी के पिता सवाई पुत्र तोताराम को भी शिकमी दर्ज कर रखा है शिवजी पुत्र लक्खू का नाम भी शिकमी के रूप में दर्ज कर रखा है जो फौत हो गया जिसके वारिसान अमरसिंह, कृष्ण, गिर्राज व जसराम के वारिसान है। छीतर पुत्र मोहकम के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ल0 14 है। राजस्व रिकोर्ड में दर्ज शिकमी व बकाश्त के नाम के व्यक्तियों में से प्रभू, बुधराम पुत्रान प्रभाती एवं अमरसिंह पुत्र शिवजी जीवित है शेष अर्सा दराज पूर्व फौत हो चुके है उनके वारिसान को वाद में पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी में दर्ज किसी के नाम व किसी की वल्दियत गलत अंकित कर रखी है।

5. यह है कि वादी आराजी मुतनाजा पर शांतिपूर्वक काबिज एवं दखिल रहा है एवं काश्त कार्य व क्रेडिट कार्ड बनवाने में कोई समस्या नहीं आयी इसलिये वादी ने राजस्व रिकोर्ड का कभी अवलोकन नहीं कराया ना ही कभी राजस्व रिकोर्ड की नकले लेने की आवश्यकता पडी इसलिये उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी अब दिनांक 04.05.2024 को वादी पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड के ऋण की सीमा बढ़वाने हेतू सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी आराजी में दीगर लोगो के नाम अंकित करते हुये उनकी काश्त दर्ज कर रखी है इसलिये आप पहले राजस्व रिकोर्ड को दुरुस्त कराये इस पर वादी प्रतिवादी सं० 49 तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने अदालत में वाद पेश करने की सलाह दी इसके पश्चात वादी ने वकील से सम्पर्क किया तो कानूनी सलाह के बाद वाद दायर किया जा रहा है।

6. यह है कि राजस्व रिकोर्ड में वादी की खातेदारी के बाद जमाबन्दी में किये गये इन्द्राज बेजा, विधि के खिलाफ एवं मौके के खिलाफ होने से हर सूरत में काबिल दुरुस्ती है वादी के अधिकार उक्त इन्द्राजात से प्रभावित हो रहे है वादी अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है इसलिये वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में हाल खाता सं0 143 में वादी के नाम खातेदार के बाद दर्ज ''अ0विव0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त छीतर मंगी पुत्रान श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकी बदस्तूर बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाईसिंह पुत्रान तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 राहिन हिस्सा 1/2'' के इन्द्राजात को व हाल खाता सं0 147 में वादी के नाम के साथ अंकित जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित ''अ0विव0 मोहरसिंह से लेकर अन्त में शिकमी साल 9.5 बाकी बदस्तूर'' तक एवं हाल खाता सं० 149 में दर्ज बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित ''अ0विव0 छीतर पुत्र मोहन से लेकर अन्त में छीतर पुत्र हीरा जाट शिकमी साल सम्वत रबी 2032'' व हाल खाता सं0 148 में बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित इबारत ''अ0विव जग्गल पुत्र जयराम से लेकर अन्त में जगराम पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल सम्वत 2032'' के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

7. यह है कि दिनांक 04.05.2024 को वादी पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा बढवाने हेतू सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी आराजी में दीगर

सहायक कलक्टर (फा०टै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

लोगो के नाम अंकित करते हुये उनकी काश्त दर्ज कर रखी है इसलिये आप पहले राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करावे इस पर वादी प्रतिवादी सं0 49 तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया तो तहसीलदार मुण्डावर ने अदालत में वाद पेश करने की सलाह दी इसके पश्चात वादी ने वकील से सम्पर्क किया तो कानूनी सलाह दी तथा मिन वादी के राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने से मना कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व विनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

8. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 49 के खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस के अभाव में ही दावा दायर किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80 (2) जाप्ता दिवानी अलग से संलग्न वाद है।

9. यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है, सुनने योग्य है।

10. यह है कि दावा हाजा पर दो रूपयें कोर्ट फीस चस्पा है।

11. मूलतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी हाल खाता सं0 149 के हाल ख0 नं0 103/0.92 हैक्0, 372/0.23 हैक्0, 502/0.42 हैक्0, 504/0.01 हैक्0, 505/1.06 हैक्0, 605/0.30 हैक्0, 606/0.24 हैक्0, 613/0.01 हैक्0, 614/0.86 हैक्0, 628/0.30 हैक्0, 682/0.35 हैक्0, 683/0.01 हैक्0, 684/0.34 हैक्0, कुल किता 13 कुल रकबा 5.05 हैक्0, में बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित गलत इन्द्राज "अ0विव0 छीतर पुत्र मोहन जाट ढाई बीघा हिबसू श्योदान वगैरा दो बीघा आठ बिस्वा शिकमी साल 8.5 ख0 नं0 हाल 103 प्रभू उमराव बुद्धराम सोहन पि0 प्रभाति जाट साकिन देह शिकमी सम्वत् रबी 2032 ख0नं0 हाल 862, 863 छीतर पुत्र हीरा जाट शिकमी संवत रबी 2032" हाल खाता सं0 143 के हाल ख0नं0 625/0.25 हैक्0, में हाल खाता सं0 143 में वादी के नाम अंकित खातेदार शब्द के बाद "अ0विव बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त छीतर मंगी पुत्रान श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकी बदस्तूर बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाईसिंह पुत्रान तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 राहिन हिस्सा 1/2" के इन्द्राजात को, हाल खाता सं0 147 के हाल ख० नं0 585/0.46 हैक्0, में बनवारी पुत्र सवाईसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित "अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर सा0 भा0 टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5 बाकि बदस्तूर" को हाल खाता सं0 148 के हाल ख० नं0 689/0.27 हैक्0, में बनवारीलाल पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित "अ0विव0 जग्गल पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिकमी जाट साकिन देह शिकमी साल 8. 5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 ख0नं0 हाल 689 जगराम पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल सम्वत् 2032" वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान के अंकन को कलमजन किये जाने व इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड को दुरुस्त किये जाने के आदेश सादर फरमाये जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 48 की तरफ से ईकबाल जवाब पेश किया गया एवं जवाब ईकबाल में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/8602 दिनांक 09.10.2025 में

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

आराजी खसरा नम्बर 103, 372, 502, 504, 505, 605, 606, 613, 914, 628, 682, 683, 684 किता 13 पर बनवारीलाल पुत्र सवाई जाति जाट सा. देह खातेदार द्वारा काश्त कार्य किया जा रहा है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1 बनवारी पुत्र सवाईसिंह, पीडब्लयू–2 जीतराम पुत्र छीतर साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2078 किता–4 प्रदर्श 1 अंकित करवाया गया।

वकीलवादी एवं प्रतिवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी हाल खाता सं0 149 के हाल ख0 नं0 103/0.92 हैक्0, 372/0.23 हैक्0, 502/0.42 हैक्0, 504/0.01 हैक्0, 505/1.06 हैक्0, 605/0.30 हैक्0, 606/0.24 हैक्0, 613/0.01 हैक्0, 614/0.86 हैक्0, 628/0.30 हैक्0, 682/0.35 हैक्0, 683/0.01 हैक्0, 684/0.34 हैक्0, कुल किता 13 कुल रकबा 5.05 हैक्0, हाल खाता सं0 143 के हाल ख0 नं0 625/0.25 हैक्0, हाल खाता सं0 147 के हाल ख0 नं0 585/0.46 हैक्0, हाल खाता सं0 148 के हाल ख0 नं0 689/0.27 हैक्0, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। यह आराजी मुतनाजा वादी की खानदानी है जिस पर वादी व वादी के पूर्वज खुदकाश्त खातेदार के काबिज काश्तकार रहे है आज भी मौके पर वादी खुदकाश्त का खातेदार है काबिज होकर काश्त कर रहा है। आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त के बाबत मौके पर आज तक कोई विवाद नहीं रहा है। वादी अपने हिस्से पर राजस्व रिकोर्ड के अनुसार काबिज है एवं वादी का कब्जा निर्विवादित एवं निरन्तर चला आ रहा है।अर्सा दराज पूर्व ग्राम नंगली औझा में सिंचाई के साधन कम होने के कारण आराजी पर उत्तम काश्त के लिये वादी के सिंचाई के पास लगती आराजी वादी सिंचाई कर लेता व वादी की दीगर आराजी दीगर व्यक्ति के सिंचाई साधन के पास लगती थी उस आराजी पर दीगर व्यक्ति सिंचाई कर लेता था सिंचाई साधन बढते गये सभी लोग अपनी अपनी आराजीयात पर स्वंय के साधनो से सिंचाई करने लग गये लेकिन पूर्व में दो चार साल सिंचाई के लिये आराजी की अदला बदली की वजह से ग्राम नगंली औझा के समस्त काश्तकारो के राजस्व रिकोर्ड में दीगर व्यक्तियों को शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज कर दिये गये जबकि मौके पर आज के दिन किसी भी आराजी पर शिकमी या बकाश्त वाले का कब्जा नहीं है दीगर काश्तकारों खातेदारो की आराजी पर वादी को शिकमी दर्ज कर रखा है। एवं वादी की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी को एवं उनके पूर्वजो के शिकमी व बकाश्त के रूप में नाम का अंकन कर रखा है जबकि वादी की खातेदारी की आराजी पर स्वंय वादी काबिज है काश्त कर रहा है दीगर किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। राजस्व रिकोर्ड में वादी की खातेदारी के बाद जमाबन्दी में किये गये इन्द्राज बेजा, विधि के खिलाफ एवं मौके के खिलाफ होने से हर सूरत में काबिल दुरुस्ती है वादी के अधिकार उक्त इन्द्राजात से प्रभावित हो रहे है वादी अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है इसलिये वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में हाल खाता सं0 143 में वादी के नाम खातेदार के बाद दर्ज "अ0वि0 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त छीतर मंगी पुत्रान श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकी बदस्तूर बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाईसिंह पुत्रान तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 राहिन हिस्सा 1/2" के इन्द्राजात को व हाल खाता सं0 147 में वादी के नाम के साथ अंकित जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित "अ0वि0 मोहरसिंह से लेकर अन्त में शिकमी साल 9.5 बाकी बदस्तूर" तक एवं हाल खाता सं० 149 में दर्ज बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित "अ0वि0 छीतर पुत्र मोहन से लेकर अन्त में छीतर पुत्र हीरा जाट शिकमी साल सम्वत रबी 2032" व हाल खाता सं0 148 में बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित इबारत "अ0वि जग्गल पुत्र जयराम से लेकर अन्त में जगराम पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल सम्वत 2032" के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जावे व इसी प्रकार

सहायक कलेक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे। तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की आराजी वाके ग्राम नंगली औझा के हाल खाता सं0 149 के हाल ख0नं0 103, 372, 502, 504, 505, 605, 606, 613, 614, 628, 682, 683, 684 कुल किता 13 में वादीगण बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित इन्द्राज **"अ0विव0 छीतर पुत्र मोहन जाट ढाई बीघा हिबसू श्योदान वगैरा दो बीघा आठ बिस्वा शिकमी साल 8.5 ख0 नं0 हाल 103 प्रभू उमराव बुद्धराम सोहन पि0 प्रभाति जाट साकिन देह शिकमी सम्वत् रबी 2032 ख0नं0 हाल 862, 863 छीतर पुत्र हीरा जाट शिकमी साल संवत रबी 2032" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** एवं हाल खाता सं0 143 के हाल ख0नं0 625 में वादीगण के नाम अंकित खातेदार शब्द के बाद **"अ0विव बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त छीतर मंगी पुत्रान श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकी बदस्तूर बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाईसिंह पुत्रान तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तथा हाल खाता सं0 147 के हाल ख0 नं0 585 में बनवारी पुत्र सवाईसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित **"अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर स0भा0 टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5 बाकि बदस्तूर" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तथा हाल खाता सं0 148 के हाल ख0 नं0 689 में बनवारीलाल पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित **"अ0विव0 जग्गल पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 ख0नं0 हाल 689 जगराम पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल सम्वत् 2032" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **16.12.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित ...)
सहायक कलक्टर मुख्यावास
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक)
मुख्यालय खैरथल-तिजारा

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
152/24	25/06/24	16/12/25

1. बनवारी पुत्र श्री सवाईसिंह जाति जाट निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल– तिजारा राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र श्री छीतर
2. बलवान
3. प्रेमपाल पुत्रान श्री मातादीन
4. दीपेन्द्र पुत्र श्री बलवीर
5. बिरमा देवी पत्नी बलवीर
6. कमलसिंह पुत्र श्री जलेसिंह
7. बिमला पत्नी जलेसिंह
8. धूंधा पत्नी हरिसिंह
9. राजपाल
10. धर्मपाल पुत्रान श्री हरिसिंह
11. रतीराम पुत्र श्री चिरंजी
12. भगवानी पत्नी चिरंजी
13. राजेश
14. दीपक पुत्रान श्री होशियार
15. अमरसिंह पुत्र श्री शिवजी
16. गंगाराम
17. धर्मसिंह पुत्र श्री जग्गल उर्फ जगराम
18. कृष्ण कुमार
19. गिर्राज पुत्रान श्री शिवजी
20. वीरमति पत्नी करणसिंह
21. योगेन्द्र पुत्र श्री करणसिंह
22. जसवन्त कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण
23. कान्ता पत्नी जसराम
24. धीरेन्द्र
25. विकास पुत्रान श्री जसराम
26. धर्मचंद पुत्र श्री मंगी
27. यशवंत पुत्र श्री मंगी
28. मूर्ति पत्नी मंगी
29. संतोष पत्नी मामचन्द
30. नरेश कुमार
31. राकेश कुमार पुत्रान श्री मामचंद
32. मन्ना देवी पत्नी वीरेंद्र
33. रोहित पुत्र श्री वीरेंद्र

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

34. फतेहसिंह
35. निहालसिंह पुत्रान श्री ख्याली
36. मूर्ती देवी पत्नी ख्याली
37. मोहनसिंह
38. महेशचंद पुत्रान श्री टेकचंद
39. प्रभु
40. बुधराम पुत्रान श्री प्रभाती
41. कृष्ण कुमार पुत्र श्री उमराव
42. रेवती पत्नी उमराव
43. सरजीत पुत्र श्री सोहन
44. जलेसिंह
45. धर्मसिंह
46. भूपसिंह पुत्रान श्री छीतर
47. राजेश कुमार
48. संजय कुमार पुत्रान श्री रामसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
49. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती इंद्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अनर्तगत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री नरेन्द्र कुमार मांढैया वकील प्रतिवादीगण।

–:पर्चा डिक्री:–

वादी की और से श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की और से श्री नरेन्द्र कुमार मांडैया की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 16.12.2025 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ है। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी कि जाती है।

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की आराजी वाके ग्राम नंगली औझा के हाल खाता सं0 149 के हाल ख0नं0 103, 372, 502, 504, 505, 605, 606, 613, 614, 628, 682, 683, 684 कुल किता 13 में वादीगण बनवारी पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित इन्द्राज **"अ0वि0 छीतर पुत्र मोहन जाट ढाई बीघा हिबसू श्योदान वगैरा दो बीघा आठ बिस्वा शिकमी साल 8.5 ख0 नं0 हाल 103 प्रभू उमराव बुद्धराम सोहन पि0 प्रभाति जाट साकिन देह शिकमी सम्वत् रबी 2032 ख0नं0 हाल 862, 863 छीतर पुत्र हीरा जाट शिकमी साल संवत रबी 2032" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** एवं हाल खाता सं0 143 के हाल ख0नं0 625 में वादीगण के नाम

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अंकित खातेदार शब्द के बाद "अ0विव बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त पार्वती पुत्री अबजी छीतर पुत्र मोहकम 1/2 जग्गल पुत्र जयराम 1/2 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त छीतर मंगी पुत्रान श्योदान 1/2 शिकमी साल 8.5 बाकी बदस्तूर बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त मंगी सवाईसिंह पुत्रान तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5" इन्द्राजात को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा हाल खाता सं0 147 के हाल ख0 नं0 585 में बनवारी पुत्र सवाईसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित "अ0विव0 मोहरसिंह ख्याली पि0 चेतराम 1/4 टेकचन्द पुत्र छाजूराम साकिन देह शिकमी साल 9.5 बलबीर इत्यादि उपरोक्तानुसार काश्त जगराम किशोर स0भा0 टेकचन्द पि0 छाजू 1/2 शिकमी साल 9.5 बाकि बदस्तूर" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा हाल खाता सं0 148 के हाल ख0 नं0 689 में बनवारीलाल पुत्र सवाई हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन देह खातेदार के बाद अंकित "अ0विव0 जग्गल पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 ख0नं0 हाल 689 जगराम पुत्र जयराम जाट साकिन देह शिकमी साल सम्वत् 2032" को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **16.12.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)